

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की सम्पन्न 15वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी 2019 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की 15वीं बैठक श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 29 जनवरी 2019 को सिफसा सभागार कक्ष में प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (1) | डा० बदी विशाल,
निदेशक(प०क०)
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - विशेष आमंत्रित |
| (3) | डा० वीरेन्द्र सिंह,
संयुक्त निदेशक(प०क०),
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - सदस्य सचिव |
| (4) | डा० चित्रा सोनकर,
कन्सलटेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
दीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय,
गोलागंज, लखनऊ। | - सदस्य |
| (5) | डा० यू०के० प्रसाद,
सीनियर कन्सलटेंट, सर्जन,
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,
हजरतगंज, लखनऊ। | - सदस्य |
| (5) | डा० अरुणा नारायण,
वरिष्ठ सलाहकार,
सिफसा, उ०प्र०, लखनऊ। | - विशेष आमंत्रित |

(6) डा० पंकज सक्सेना,
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

— विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा मद संख्या:-01
(गत् बैठक दिनांक 12 मार्च 2018 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत् बैठक दिनांक 12 मार्च 2018 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदय द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा मद संख्या:-02
(प्रगति का विवरण)

डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी उपसमिति" की अब तक कुल 15 बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं तथा एजेण्डा में टंकण त्रुटि होने के कारण कुल दावा प्रपत्र 397 के स्थान पर 396 अंकित हो गया था। योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त बलेम फार्मों व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

(1) कुल प्राप्त दावा प्रपत्रों की संख्या:-	3190
(2) विगत् बैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:-	2793
(3) प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:-	2030
(4) प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों की संख्या:-	763

- (5) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक
12 मार्च 2018 में निस्तारणार्थ प्रस्तुत
दावों की संख्या:-

397

एजेण्डा मद संख्या:-03

(आज की बैठक में निस्तारण हेतु प्रस्तुत दावों का जनपदवार विवरण)

महानिदेशालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों का समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

1. उन्नाव:-

जनपद वरती से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 07 एवं वर्ष 2018-19 के 01 कुल 08 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

2. अमेठी:-

जनपद अमेठी से वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2016-17 के 01, वर्ष 2017-18 के 09 एवं वर्ष 2018-19 के 02 कुल 13 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

3. लखीमपुर खीरी:-

जनपद लखीमपुर खीरी से वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 12, वर्ष 2016-17 के 20, मृत्यु के 01, वर्ष 2017-18 के 20 एवं वर्ष 2018-19 के 04 कुल 62 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 62 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 62 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

4. हरदोई:-

जनपद हरदोई से वर्ष 2017-18 के 12, मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2018-19 के 04 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 17 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 17 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

5. इटावा:-

जनपद इटावा से वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के 08 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

दीप

6. बाराबंकी:-

जनपद इटावा से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 23 एवं वर्ष 2018-19 के 07 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

7. मैनपुरी:-

जनपद मैनपुरी से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2018-19 के 03 कुल 06 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

8. मिर्जापुर:-

जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

9. अमरोहा:-

जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

10. मेरठ:-

जनपद मेरठ से वर्ष 2014-15 के मृत्यु के 02, वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02 व मृत्यु के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

11. देवरिया:-

जनपद देवरिया से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 08 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

12. गौतमबुद्ध नगर:-

जनपद गौतमबुद्ध नगर से वर्ष 2016-17 के जटिलता के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

13. एटा:-

जनपद एटा से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।



27. सन्तकवीर नगर—

जनपद सन्तकवीर नगर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

28. वाराणसी—

जनपद वाराणसी से वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 09 एवं वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

29. मऊ—

जनपद मऊ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 18 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 13 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

30. आगरा—

जनपद आगरा से वर्ष 2016-17 के जटिलता के 01, वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 10, एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 17 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 16 स्वीकृत किये गये। शेष 01 दावा प्रपत्र में त्रुटियाँ पाई गई हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

वर्ष 2016-17

- श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री वसंत कुमार निवासी चमरौली ब्लॉक वरौली अहीर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में गर्भधारण उपरान्त गर्भधारण पुष्टि की तिथि (दिनांक 22.10.2017) एवं (क्लेम दिनांक 18.07.2018) अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती पिंकी पत्नी श्री दिनेश निवासी 46/98/2 भीमनगर जगदीशपुरा जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसवन्दी उपरान्त जटिलता हुई है, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य(ओ०पी०डी० पर्चा/अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट) संलग्न नहीं है।

31. बस्ती—

जनपद मऊ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

एजेण्डा मद संख्या:-06

(समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

बैठक में समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त गर्भधारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष सर्वसम्मति से गर्भधारण के 385, जटिलता के 02 एवं मृत्यु के 05 कुल 392 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण निम्नवत है:-



27. सन्तकबीर नगर-

जनपद सन्तकबीर नगर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

28. वाराणसी-

जनपद वाराणसी से वर्ष 2015-18 के गर्भधारण के 09 एवं वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 कुल 10 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

29. मऊ-

जनपद मऊ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 18 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 13 कुल 31 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 31 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 31 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

30. आगरा-

जनपद आगरा से वर्ष 2016-17 के जटिलता के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 10, एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 06 कुल 17 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये। समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 17 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 16 स्वीकृत किये गये। शेष 01 दावा प्रपत्र में कुल है जो कि निम्नवत है:-

वर्ष 2016-17

- श्रीमती रुपा देवी पत्नी श्री बरत कुमार निवासी चमरौली ब्लॉक बरौली अहीर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में गर्भधारण उपरान्त गर्भधारण पुष्टि की तिथि (12/2017) एवं (अन्य दिनांक 18/07/2018) अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद बच्चा विना सामान्य (प्री-प्री-प्री) पर्याप्त/अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट) सलग्न नहीं है।

31. बरौली-

जनपद बरौली से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्र प्राप्त हुये थे, जिनको समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 दावा प्रपत्र के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

एजेण्डा मद संख्या-06

(समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

बैठक में समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त गर्भधारण के 389, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 05 कुल 397 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष सर्वसम्मति से गर्भधारण के 385, जटिलता के 05 कुल 392 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19		प्राप्त दावा प्रपत्रों की संख्या			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु		
1	उन्नाव	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	8	0	0	8	
2	अमेठी	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	2	0	13	0	0	13	
3	लखीमपुर खीरी	0	5	0	12	20	0	1	20	0	0	4	0	61	0	1	62	
4	हरदोई	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	4	0	16	0	1	17	
5	इटवा	0	0	0	1	1	0	0	8	0	0	0	0	10	0	0	10	
6	बाराबंकी	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	7	0	31	0	0	31	
7	मैनपुरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	6	0	0	6	
8	मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	
9	अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	10	
10	मेरठ	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	2	1	7	0	3	10	
11	देवरिया	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	10	0	0	10	
12	गौतमबुद्ध नगर	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	3	
13	एटा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
14	गालीपुर	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	3	
15	हमीरपुर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	
16	पीलीभीत	0	0	0	0	7	0	0	11	0	0	9	0	27	0	0	27	
17	बहराईच	0	1	0	1	9	0	0	8	0	0	0	0	19	0	0	19	
18	सीतापुर	1	0	0	2	18	0	0	5	0	0	0	0	26	0	0	26	
19	शाहजहाँपुर	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	15	0	26	0	0	26	
20	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	5	0	0	5	
21	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	8	1	0	9	
22	साम्भर	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	5	0	0	5	
23	महाराजगंज	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	
24	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	6	
25	बादा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	3	
25	बागपत	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	4	0	0	4	
27	सन्तकबीर नगर	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	10	
28	बाराणसी	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	
29	मऊ	0	0	0	0	18	0	0	13	0	0	0	0	31	0	0	31	
30	आगरा	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	6	0	15	0	0	15	

45

0	0	1	0	0	2	1	7	0	3	30000	25000	2000	0	0	4000	90000	30000	0	0	30000	0	0	60000	2000	210000	0	60000	
0	0	2	0	0	8	0	10	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	24000	0	300000	0	0	
1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	25000	0	60000	0	0	0	0	60000	25000	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	
0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	30000	0	90000	0	0	
0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	30000	0	60000	0	0	
0	0	11	0	0	9	0	27	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	21000	0	0	33000	0	0	27000	0	810000	0	0	
0	0	8	0	0	0	0	19	0	0	30000	25000	2000	0	30000	0	30000	27000	0	0	24000	0	0	0	0	570000	0	0	
0	0	5	0	0	0	0	26	0	0	30000	25000	2000	30000	0	0	60000	54000	0	0	15000	0	0	0	0	780000	0	0	
0	0	11	0	0	15	0	26	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	45000	0	780000	0	0	
0	0	4	0	0	1	0	5	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	30000	0	150000	0	0	
0	0	7	1	0	1	0	8	1	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	21000	25000	0	30000	0	240000	25000	0	
0	0	3	0	0	2	0	5	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	60000	0	150000	0	0	
0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	120000	0	0	
0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	180000	0	0	
0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	60000	0	90000	0	0	
0	0	3	0	0	1	0	4	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	30000	0	120000	0	0	
0	0	4	0	0	6	0	10	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	18000	0	300000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	27000	30000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
0	0	13	0	0	0	0	31	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	54000	0	0	39000	0	0	0	0	930000	0	0	
0	0	9	0	0	6	0	15	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	0	0	0	27000	0	0	18000	0	450000	0	0	
0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	30000	25000	2000	0	0	0	0	30000	0	0	60000	0	0	0	0	90000	0	0	
1	1	183	1	1	88	1	385	2	5	30000	25000	2000	30000	21000	4000	84000	23400	25000	2000	54900	25000	2E+05	26400	2000	115500	50000	10000	
																							कुल धनराशि			12600000		

में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए निर्देश दिये गये कि:-

किंक 01 अप्रैल 2013 से पूर्व नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की client detail मंगायी जाये।

(कार्यवाही-महानिदेशक,पंक०)

- समस्त जनपदों को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना से सम्बन्धित गार्ड लाईन प्रेषित किया जाये।


(कार्यवाही-महानिदेशक,प०क०)

- ऐसे जनपद जिन्होंने लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की पुष्टि की तिथि के 90 दिन बाद क्लेम किया गया है, के दावा प्रपत्र को जनपद स्तर पर गठित समिति से निस्तारण करते हुये निदेशालय को दावा प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, से आख्या प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही-महानिदेशक,प०क०)

- दिनांक 01 अप्रैल 2013 से पूर्व नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित दावा प्रपत्रों में आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड के माध्यम से दी जा रही क्षतिपूर्ति धनराशि का (शासनादेश/अनुबन्ध की छायाप्रति) भारत सरकार/आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड से प्राप्त कर, उसका अवलोकन कर तथ्यों से समिति को अवगत कराया जाये।


(कार्यवाही-महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)



(डा० चित्रा सोनकर)
इम्पैनल्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ
सदस्य



(डा० यू०के० प्रसाद)
इम्पैनल्ड सर्जन,
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य



(डा० वीरेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक(प०क०),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव



(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
संयोजक



(पंकज कुमार),
मिशन निदेशक,
अध्यक्ष